भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3186

12.07.2019 को उत्तर के लिए

क्योटो प्रोटोकॉल

3186. श्री राजन बाबूराव विचारे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुपक्षीय प्रक्रिया में विश्वास पैदा करने के लिए अगले तीन वर्ष के दौरान अपनी मौसम संबंधी कार्रवाई को निदेशित करते हुए भारत और चीन ने सम्पन्न देशों से संयुक्त रूप में क्योटो प्रोटोकॉल (2013-2020) की दूसरी वचनबद्धता अवधि की संपुष्टि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को आयोजित जलवायु परिवर्तन संबंधी 27वीं बेसिक (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) की मंत्रालयी बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में बेसिक के मंत्रियों ने इस बात पर बल दिया कि संवर्धित पूर्व-2020 महत्वाकांक्षा और कार्रवाइयां, पश्च-2020 महत्वाकांक्षा और कार्रवाइयों के लिए आधार हैं तथा अब तक अनुसमर्थन न करने वाले सभी शेष पक्षकारों को क्योटो प्रोटोकॉल (2013-2020) की द्वितीय वचनबद्धता अवधि के लिए दोहा संशोधन के अनुसमर्थन के लिए आमंत्रित किया। दिनांक 02-14 दिसम्बर, 2018 के दौरान पौलैंड में आयोजित जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के संबंध में पक्षकारों के 24वें सम्मेलन (सीओपी 24) के दौरान भारत और अन्य विकासशील देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों से दोहा संशोधन का अनुसमर्थन करने का आग्रह किया। इसके परिणामस्वरूप, सीओपी 24 के निर्णय में दोहा संशोधन को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया तथा क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में दोहा संशोधन के अनुसमर्थन के लिए शेष बचे क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों से अपनी-अपनी स्वीकृतियों के संबंध में दस्तावेज न्यासीधारी के पास शीघ्रातिशीघ्र जमा कराने का आग्रह किया गया।

*****